न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नेथीराम पुत्र मनराराम जाति कलबी निवासी कोटड़ा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. भमरा पुत्र रूड़ा 2. रामजी पुत्र रूड़ा 3. वगता पुत्र दाना 4. शान्ता पत्नि रूड़ा (फौत होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 संयोजित) 5. हंजा पुत्र रूड़ा समस्त जातियान जांगिड ब्राहम्ण निवासी केर, सुरजवाडा 6. गणेशा पुत्र रेखा साकिन पंसेरी 7. दाना पुत्र गेमा 8. रणछोडा पुत्र गेमा 9. समु पत्नि गेमा (फौत होने से अप्रार्थी संख्या 7 व 8 संयोजित) समस्त जातियान कलबी निवासी सुरजवाडा 10. हरखा पुत्र मनरा जाति कलबी निवासी कोटड़ा तहसील जसवतंपूरा 11. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा रानीवाडा 12. तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेश कूमार गर्ग।
2. अप्रार्थी संख्या 13 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 31.03.2022

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा सुरजवाडा में आई हुई है। उनके खसरा नबंर 66 रकबा 1.76 हैक्टेयर है। उनके पडौस में खसरा नबंर 169 / 451, 170 / 411, 315 रकबा 3.77 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 निवासी केर जो सीमावर्ती है एवं खसरा नबंर 659 / 65 अप्रार्थी संख्या 6 तथा खसरा नबंर 67 रकबा 4.68 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 7 से 9 की खातेदारी आराजी आई हुई है। प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक 19–20 दिनांक 02.11.2021 की पालना में हल्का पटवारी ने उपरोक्त पडौसी खातेदारों को सुचना देकर पैमाईश पर उपस्थित होने को कहा हल्का पटवारी ने खसरा नबंर 66 रकबा 1.79 की पैमाईश शुरू की उक्त खातेदारी मौजा सुरजवाडा व केर की सीमा पर स्थित है। हल्का पटवारी ने बोर्डर लाईन निशानात् बताये तो पडौसी गांव केर के खातेदारो एवं मौजा सुरजवाडा के खसरा नबंर 659 / 65, रकबा 1.46 हैक्टर व खसरा नबंर 67 रकबा 4.68 के उपरोक्त पडौसी खातेदारो ने सीमाकंन मानने से इन्कार कर दिया इस प्रकार मौके पर आपसी विवाद विधमान है, अप्रार्थी संख्या 10 सामलाती खातेदार है। मजदुरी हेतु बाहर जाने से उन्हें अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, कोई उजर एतराज नहीं है। प्रार्थी का सगा भाई है। अतः उनसे कोई अनतोष नहीं चाहा [illegible] है। अप्रार्थीगण विवाद के चलते निरन्तर खातेदारी आराजी में दखलन्दाजी कर रहे [illegible] जान से मारने की ऐलानिया धमकी दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति [illegible] प्रार्थना प[illegible] स्थायी सीमाज्ञान [illegible] पत्थर गड्ढी करना अनिवार्य हो गया है। प्रार्थी गरीब एवं लक[illegible]स्त है। काश्त ही ए[illegible] सहारा है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:45:11 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी स्थिति में खसरा नबंर 66 रकबा 1.79 हैक्टर की पैमाईश हेतु कमेठी गठित कर पुलिस इमदाद के जरीए विवाद का निपटारा किया जाए ताकि पैमाईश शान्तिपुर्ण तरीके से सम्भव हो जाए। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा सुरजवाडा के खसरा नबंर 66 रकबा 1.79 हैक्टर के पैमाईश हेतु कमेठी गठित पुलिस सुरक्षा में स्थायी सीमाज्ञान एवं पत्थरगडढी करने का आदेश फरमावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. अप्रार्थी संख्या 13 की ओर राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई। बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया गया।
4. पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 13 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.11.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा सूरजवाडा के खसरा नम्बर 66, 659/65, 67, 169/451, 170/411 व 315 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद सूरजवाडा पटवार हल्का सूरजवाडा के खसरा नम्बर 66, 659/65, 67, 169/451, 170/411 व 315 की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:45:11 IST
Reason: SelfAttested